



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1240 /NGT-134/OA-418&447/2021/2024

दिनांक 22/8/2024

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

**Sub: Compliance Report in reference to order dated 09.08.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in OA No. No. 418/2021 (IA NO 66/2024, IA NO 52/2023) and 447/2021 Tilak Raj Adhana and Ors Vs State of Uttar Pradesh – reg.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 09.08.2024 in OA No-418/2021 (IA NO 66/2024, IA NO 52/2023) with OA No. 447/2021, in the matter of Tilak Raj Adhana & ors. Vs state of Uttar Pradesh compliance report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

**Enclosure: Compliance report.**

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)  
Regional Officer

**Copy to:**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**OA No OA No. 418/2021**

**(IA NO 66/2024, IA NO 52/2023)**

**With**

**OA No No-447/2021**

**Tilak Raj Adhana and Ors**

**APPLICANT**

**Versus**

**State of Uttar Pradesh**

**RESPONDENTS**

**Compliance Report in reference to order dated 09.08.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in OA No. No. 418/2021 (IA NO 66/2024, IA NO 52/2023) and 447/2021 Tilak Raj Adhana and Ors Vs State of Uttar Pradesh.**


**It is most respectfully showeth:**

- 1) That, the Hon'ble National Green Tribunal (here in after referred to as NGT) vide its order dated 09.08.2024 in the above said matter has made the following observations with the issues on five aspects:
  - a. Running of Tubelwells without permission;
  - b. Non handling and disposal of fly ash in accordance with guidelines laid down by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India;
  - c. Rain water harvesting system whether made by the said industry or not and if yes, whether the same is in functional condition;
  - d. The action taken by industry for maintenance of village ponds which it has adopted.
  - e. Necessary plantation as per the requirement of condition of EC and consent.
- 2) That, in compliance to aforesaid direction, UPPCB issued letter to project proponent on 18.07.2024 for providing informations regarding on issues a and c. The copy of said letter is attached herewith as **Annexure-1**.

- 3) That, in response to above reply was received from project proponent in this office vide e mail dated 07.08.2024 copy of reply is attached herewith as **Annexure-2**.
- 4) That, in furtherance in compliance to Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi order dated 17.05.2024, project proponent has filed additional reply showing compliance and Uttar Pradesh Pollution Control Board was directed vide order dated 09.08.2024 to verify the same and submit its report within two weeks.
- 5) Nodal Officer, District Ground Water Management Council, Ghaziabad has apprised vide letter dated 24.08.2024 regarding the status of running of tube wells, rain water harvesting system, action taken by industry for maintenance of village ponds which industry has adopted. Copy of said letter is attached herewith as **Annexure-3**
- 6) That, in compliance to aforesaid directions issued vide dated 09.08.2024 inspection of site in question was made by official from Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad along with official of Uttar Pradesh Ground Water Department, Ghaziabad on 22.08.2024 to ascertain the facts. The issue wise status is given here:-


a) **Running of Tubewells without permission;-**

That, the project proponent i.e. M/s Modi sugar mills and M/s Modi distillery is having 02 Nos of borewells each for the abstraction of ground water for which obtained NOC from Uttar Pradesh Ground Water department, Ghaziabad valid up to 03.01.2025 & 27.04.2025 respectively. Apart from these above mentioned 04 Borewells, 02 other Borewells were found non functional and sealed. Therefore, no tubewells running without permission were found. Photographs taken are given below:-



**b) Non handling and disposal of fly ash in accordance with guidelines laid down by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India:-**



That, as per record provided by the unit estimated quantity of generation of fly ash during the cane crushing season 2023-24 was 13583.3 Metric Ton approximately. It was reported by the unit representative that during cane crushing season some part of fly ash had been provided to the farmers as manure but no records were given in this regard. The remaining fly ash was collected by local contactor through trolley for land filling in low-lying area measuring 1.0 acre bearing khasra no. 615 for which project proponent has taken on lease from Shri Mohit sharma S/o Shri Om sharma and others resident of village Sikri Kalan, Modinagar, Ghaziabad (The copy of lease agreement is attached herewith as **Annexure-4**). Further no fencing/boundary wall and levelling of fly ash was found observed. Fly ash was found dumped at various places at the said site. The unit is not maintaining record for dumping of fly ash. Photographs taken are given below:-



**c) Rain water harvesting system whether made by the said industry or not and if yes, whether the same is in functional condition:-**

That, 02 rain water harvesting chambers were found constructed near the bottling unit and the excise office respectively in the premises of distillery unit which were functional and directions for regular cleaning of chambers pre-monsoon and post-monsoon were given to the project proponent. During inspection piezometer was found installed for monitoring of ground water level. Apart from the above 02 rain water harvesting chambers, the project proponent has given contract to two contractors for further expansion of rain

water harvesting system in the premises which are likely to be completed by 09.09.2024, for which the work is already under process and gutter system for rain water collection has been constructed along the roofs of some of the buildings. The photographs taken are given below:-



**d) The action taken by industry for maintenance of village ponds which it has adopted:-**

That, the Project Proponent, in their Compliance report has mentioned that they have adopted and developed ponds in compliance of their acquired NOC(s), in villages Amipur Badayla, Jalalpur Dhindhar, Machhri, Khindora & Sherpur in approx. 10-hectare area, the physical verification of which were done. On inspection, it was found that all the five ponds are being maintained by Modi Sugar Mills which included works like- Weeding and cleaning of pond banks and bottom, making of bank/periphery, fencing around the pond by RCC poles and wires, Painting of display board and pillars & Plantation around the ponds, which were under progress. The project proponent was also directed to reclean the pond banks as required at frequent intervals. The photographs of ponds taken are given below:-





**e) Necessary plantation as per the requirement of condition of EC and consent:-**

That, project proponent has developed green belt inside as well as outside of the industrial premises. As per information provided by the project proponent total land area of M/s Modi Sugar Mills and M/s Modi Distillery is 8.0155 acres. The unit is having a total green belt area of approximately 3.1530 acres, which is approximately 39.33% of total factory area. It is also pertinent to mentioned here that the plantation work at various places is spread. Further during in the current monsoon season approx 6000 saplings have been planted. The details of green belt area are attached herewith as **Annexure-5**. The photographs taken is given below:-







Therefore the above compliance report is submitted before this tribunal for kind consideration and further necessary action as the tribunal may deem fit and proper.

*Kunwar Santosh Kumar*  
 (Kunwar Santosh Kumar)  
 A.E.E.  
 UPPCB, Ghaziabad.



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website-, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 822 / N67-134 / 2024

दिनांक 18/07/2024

1. मैसर्स मोदी शुगर लि0,  
मोदीनगर, गाजियाबाद।
2. मैसर्स मोदी डिस्टलरी लि0,  
मोदीनगर, गाजियाबाद।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 418/2021 एवं 447/2021 Tilak Raj Adhana & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Tilak Raj Adhana & Ors Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 418/2021 एवं 447/2021 Tilak Raj Adhana & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Tilak Raj Adhana & Ors Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचनाएं वॉंछित हैं:-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Guidelines for disposal/utilisation of Fly Ash के अनुसार ब्यायलर से जनित फ्लाईऐश की मात्रा, हथालन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण।
2. उद्योग को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालनार्थ सहमति में निहित शर्तों के अनुसार हरित पट्टिका का कुल क्षेत्रफल तथा रोपित वृक्षारोपण का विवरण।

अवगत हो कि कार्यालय द्वारा किये गये उद्योगों के निरीक्षणों के दौरान उपरोक्त सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक अप्राप्त है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं विवरण सहित इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत की गयी किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों स्वयं का होगा। अग्रेतर मा0 अधिकरण में संदर्भित प्रकरण पुनः दिनांक 09.08.2024 को नियत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



# MODI SUGAR MILLS

(A Unit of Modi Industries Limited)



Date 07.08.2024

To

Regional Officer,  
U.P. Pollution Control Board,  
Sector-16, Vasundhara,  
Ghaziabad.

Sub:- Compliance of Order Dated 17/05/2024 passed in OA No. 418/2021 & 447/2021 by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Respected Sir,

With reference to your letter No.827/NGT-134/2024 date 18/07/2024 addressed to Modi Sugar Mills & Modi Distillery in respect of Compliance of Order Dated 17/05/2024 passed in OA No. 418/2021 & 447/2021 by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, we have to submit as under:-

1. As regard the Point No. # 1 for disposal / utilization of Fly Ash as per guidelines laid down by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India in their notification dated 31.12.2021, it is categorically applicable on the Coal and Lignite based Thermal Power Plant which generates the Fly Ash by burning the Coal / Lignite.

Guidelines on the Fly Ash generated in Sugar Industry by burning of Baggase as a fuel of Boiler in Sugar Industry are silent and nothing is mentioned in notification for the use of Fly Ash generated by burning of Sugar Cane baggase in Sugar Industry. However we are committed to Comply all the directions issued by the concerned Ministry in this regard. A copy of this notification is also enclosed herewith for your kind perusal as Annexure No. # 1.

Page ....2....

Modinagar-201 204 Distt.-Ghaziabad, (U.P.), INDIA

Telephone : 01232 - 242321, 7902108560, 7902108570 E-mail : ceoffice@modisugar.com  
CIN-U15429UP1932PLC000469 PAN : AAACM2063Q GSTIN : 09AAACM2063Q4Z1



-2-

### Fly Ash Generation

As regards the generation of Fly Ash during the Cane Crushing Season 2023-24, month wise details are as under:-

S.No.	Month	Quantity (In MT)
1	Nov'2023	1974.83
2	Dec'2023	2163.98
3	Jan'2024	2248.68
4	Feb'2024	2064.52
5	March'2024	2663.72
6	April'2024 (Till 02-May'2024)	2467.57
	Total	13583.3

### Utilization of Fly Ash

We are utilizing the Fly Ash in the Following manner:-

- A.) Filling of Low Land Area.
- B.) Fly Ash is used as manure in the Agriculture of the Cane Growers which is transported by us free of cost to their Agriculture field on the request of the Cane Growers.
- C.) For the purpose of shifting the remaining Fly Ash, we have already entered into a Lease Agreement of 5 Bigha of Land with the Land Lord for dumping the remaining Fly Ash on the said land. From where the cane growers take the Fly Ash from this dumping area free of cost. A copy of the Lease Agreement with the Landlord is also attached herewith as Annexure No. # 2 for your kind perusal. Photographs of the Fly Ash Dumping Area have already been submitted to you through Whatsapp.

Page ....3....

-3-

2. As regard the Point No. # 2 in connection with Plantation, the details are as under:-

- |   |             |
|---|-------------|
| A.) Area of Sugar Unit  | 4.4012 Acre |
| B.) Area of Distillery Unit   | 3.6143 Acre |
| C.) Total Area  | 8.0155 Acre |
| D.) Area of Green belt already developed & Plantation performed this year.                                    | 3.1530 Acre |
| E.) Area for Proposed Plantation  | 0.2880 Acre |
| F.) This year we have planted 6000 plants in the premises of Modi Industries Limited and outside nearby area. |             |

70 Photographs related to Green Belt already developed and New Plantation done this year have already been submitted to your good-self on whatsapp.

We hope your good-self find the above-mentioned information in the order and satisfied with the compliance done by us.

Thanking You

Yours Faithfully  
For Modi Sugar Mills



M.C.Tyagi  
Personnel Manager



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh




IN-UP32550217319020W

e-Stamp

RAVINDER KUMAR  
LNO-30

Acc-UP14084904/MODINAGAR/UP.G2B

Certificate No.	: IN-UP32550217319020W
Certificate Issued Date	: 11-Jan-2024 12:02 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) UP14084904/MODINAGAR/UP.G2B
Unique Doc Reference	: SUDIN-UPUP1408490461090333545590W
Purchased by	: MODI INDUSTRIES LIMITED UNIT MODI SUGAR MILL
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MODI INDUSTRIES LIMITED UNIT MODI SUGAR MILL
Second Party	: MOHIT SHARMA AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	: MODI INDUSTRIES LIMITED UNIT MODI SUGAR MILL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



समझौतानामा

मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर प्रथम पक्ष एवं श्री देवराज शर्मा पुत्र श्री शिव ओम शर्मा आधारकार्ड नं०-000000007168, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव ओम आधारकार्ड नं०-991385664928, श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री शिव ओम शर्मा आधारकार्ड नं०-725564355602, श्री कौशल शर्मा पुत्र श्री गंगास्वरूप शर्मा आधारकार्ड नं०-939649194653 एवं श्रीमति जसवन्ती पत्नी श्री शिवओम शर्मा आधारकार्ड नं०-239480339705 द्वितीय पक्ष एवं अन्य निवासी ग्राम सीकरी कलौ, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद (उप्र) के मध्य उनके खेत खाता संख्या-00189 खसरा संख्या-615 क्षेत्रफल 1.4050 हेक्टेयर में से एक एकड़ (पाँच बीघा) को एक रफ के लिए लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में एक समझौता आज दिनांक 11-01-2024 को आपसी सहमति से बिना किसी दबाव, बल व डर के निम्नलिखित शर्तों के साथ सम्पन्न हुआ। समझौते की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

क्रमशः 2.....

श्री शर्मा



श्री शर्मा

Mohit


श्री

-2-

समझौते की शर्तें-

- 1- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य के उपरोक्त खेत खासतौर से संख्या-815 क्षेत्रफल 1.4050 में से एक एकड़ (पाँच बीघा) जमीन मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर द्वारा, फैक्ट्री के बॉयलर से निकलने वाली गीली राखी के निस्तारण के लिए दिनांक 01-11-2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लीज पर ली जायेगी।
- 2- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि उपरोक्त जमीन को एक वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिए जाने के बदले में प्रथम पक्ष मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स द्वारा अंकन ₹0 40,000/- (चाबीरा हजार) प्रति वर्ष अर्थात् ₹0 8,000/- प्रति बीघा की दर से द्वितीय पक्ष को कुल पाँच बीघा जमीन के भराव के लिए द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य को भुगतान किया जायेगा।
- 3- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते के माध्यम से जहाँ प्रथम पक्ष की गीली राखी का निस्तारण हो जायेगा वहीं द्वितीय पक्ष को भी प्रतिफल के रूप में अंकन ₹0 40,000/- का आर्थिक लाभ होगा व द्वितीय पक्ष की जमीन का भराव भी हो जायेगा।
- 4- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि उपरोक्त वर्णित एक वर्ष की अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा लीज पर ली गयी उपरोक्त जमीन पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जायेगा एवं उपरोक्त जमीन को प्रथम पक्ष मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए गीली राखी के निस्तारण के कारण एक वर्ष की अवधि से पूर्व अपने उपयोग से मुक्त नहीं किया जायेगा।
- 5- यह कि द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य सहमत हैं कि उक्त जमीन पर मोदी शुगर मिल्स के बॉयलर की गीली राखी के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य की होगी। द्वितीय पक्ष उपरोक्त गीली राखी का उपयोग अपने हित में करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यह गीली राखी द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति मानी जायेगी एवं इसके निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य की होगी।

क्रमशः...3...









-3-

6- यह कि द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य सहमत है कि उपरोक्त जमीन पर गौली राखी के निस्तारण किये जाने के कारण किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य की होगी एवं प्रथम पक्ष का कोई भी विधिक या अन्य किसी भी रूप में उत्तरदायित्व नहीं होगा। समस्त वित्तीय व विधिक जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य द्वारा वहन की जायेगी। इस सम्बन्ध में मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स की किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय अथवा विधिक जिम्मेदारी नहीं होगी।

दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर यह लीज एग्रीमेन्ट लिखा जा रहा है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आये। इस समझौते पर आज दिनांक 11-01-2024 को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

प्रथम पक्ष  
वास्ते मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
यूनिट मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर।

  
आरुण सिंह  
वाईस प्रेसीडेन्ट (टैक्नी०)

गवाह

1- 

द्वितीय पक्ष  
खेत मालिक

  
मोहित शर्मा

मोहित शर्मा पुत्र श्री शिव ओम शर्मा एवं अन्य  
ग्राम सीकरी कलाँ, मोदीनगर  
जनपद-गाजियाबाद (उ०प्र०)।

गवाह

1-

  
मोहित शर्मा



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232336  
CG-DL-E-01012022-232336

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5075]  
No. 5075]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5481(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर ईंटों के विनिर्माण के लिए उपजाऊ मिट्टी के उत्खनन को प्रतिबंधित करने के लिए और भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और संनिर्माण क्रियाकलाप में फ्लाई-राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निदेश जारी किए हैं;

और, प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत (पीपीपी) के आधार पर, ऐसा करके कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-राख का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करते हुए और फ्लाई-राख प्रबंधन प्रणाली की संधारणीयता के लिए पूर्वोक्त अधिसूचना को और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु, केन्द्रीय सरकार ने मौजूदा अधिसूचना की समीक्षा की;

और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय प्रतिकर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

और, विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा निर्माण कार्य के क्षेत्र में राख आधारित उत्पादों तथा भवन निर्माण सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य करके उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, सड़क बनाने, सड़क एवं फ्लाई ओवर के रेलिंग बनाने, तटरेखा की सुरक्षा का उपाय करने, अनुमोदित परियोजनाओं के निचले क्षेत्रों को भरने, खनित स्थलों को फिर से भरने में मिट्टी की सामग्रियों से भरने के विकल्प के रूप में राख उपयोग को बढ़ावा देकर उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, पर्यावरण को सुरक्षित करना तथा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई राख के निक्षेपण तथा निपटान की रोकथाम करना आवश्यक है;

और, उक्त अधिसूचना में जो 'राख' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई-राख और बॉटम-राख दोनों शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर, पर्यावरणीय प्रतिकर की प्रणाली सहित राख के उपयोग के लिए एक व्यापक ढांचा लाना चाहती है;

अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना जो का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित का अधिक्रमण करते हुए, कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग के संबंध में प्रारूप अधिसूचना जो सा.का.नि. 285 (अ) तारीख 22 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उप धारा (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना सामान्य है उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप उपबंधों की शासकीय राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार कोयलों या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से राख के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, अर्थात्

**क. फ्लाई-राख और बॉटम-राख का निपटान करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के उत्तरदायित्व.-**

(1) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र (जिनमें कैप्टिव और/या सह-उत्पादन केंद्र शामिल हैं या दोनों) की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सृजित राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) का उप पैरा (2) में दिए गए पारि-अनुकूल तरीके से 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करे;

(2) कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित राख का उपयोग केवल निम्नलिखित पारि-अनुकूल प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) फ्लाई राख पर आधारित उत्पाद अर्थात्: ईट ब्लॉक टाइल, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल का विनिर्माण;
- (ii) सीमेंट विनिर्माण, रेडी-मिक्स कंक्रीट;

- (iii) सड़क निर्माण और फ्लाई-ओवर के रेलिंग का निर्माण, राख और जिओ-पॉलीमर आधारित निर्माण सामग्री;
- (iv) बांध का निर्माण;
- (v) निचले क्षेत्र को भरना;
- (vi) खनन कार्य से रिक्त हुए स्थान को भरना;
- (vii) सिंटेड या शीत-बद्ध राख संचय का विनिर्माण;
- (viii) मृदा परीक्षण के आधार पर नियंत्रित तरीके से कृषि;
- (ix) तटीय जिलों में तटरेखा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण;
- (x) अन्य देशों को राख का निर्यात;
- (xi) समय-समय पर यथाधिसूचित किसी अन्य पारि-अनुकूल प्रयोजन के लिए।
- (3) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिममें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, सड़क कांग्रेस संस्थान तथा राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका प्रयोजन राख के उपयोग के पारि-अनुकूल तौर-तरीकों की जांच करना, उनकी समीक्षा एवं अनुशंसा करना तथा प्रौद्योगिकीय विकासों तथा पणधारी से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उप-पैरा (2) में यथोल्लिखित ऐसे तौर-तरीकों की सूची में समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों को शामिल करना या किसी तौर-तरीके को सूची से हटाना या उसमें संशोधन करना है। जब भी इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, यह समिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, ताप विद्युत संयंत्र और खानों के प्रचालकों को आमंत्रित कर सकती है। इस समिति सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे पारि-अनुकूल प्रयोजन प्रकाशित करेगा।
- (4) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र उस वर्ष के दौरान सृजित राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) का 100 प्रतिशत उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा; तथापि, किसी भी स्थिति में, किसी वर्ष में राख का उपयोग 80 प्रतिशत से नीचे नहीं होगा और साथ ही, उस ताप विद्युत संयंत्र को तीन वर्ष की अवधि में 100 प्रतिशत औसत राख के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करना होगा :
- परंतु, यह और कि पहली बार के लिए लागू तीन वर्ष के चक्र को ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60-80 प्रतिशत के बीच होता है, एक वर्ष के लिए और ऐसे संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60 प्रतिशत से कम है, दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और राख के उपयोग की प्रतिशतता की गणना के प्रयोजन के लिए वर्ष 2021-2022 में उपयोग की प्रतिशत प्रमात्रा को नीचे दी गई तालिका के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा:

तापीय विद्युत संयंत्रों के उपयोग की प्रतिशतता	100 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुपालन चक्र	100 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए द्वितीय अनुपालन चक्र
>80 प्रतिशत	3 वर्ष	3 वर्ष
60-80 प्रतिशत	4 वर्ष	3 वर्ष
<60 प्रतिशत	5 वर्ष	3 वर्ष

परन्तु, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 80 प्रतिशत न्यूनतम उपयोग प्रतिशतता, क्रमशः 60-80 प्रतिशत और <60 प्रतिशत की उपयोगिता की श्रेणी के तहत आने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रथम अनुपालन चक्र के पहले वर्ष और पहले दो वर्षों पर लागू नहीं होगी।

परन्तु, अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष में सृजित 20 प्रतिशत राख को अगले चक्र में भी ले जाया जाएगा जिसका उपयोग उस अनुपालन चक्र के दौरान सृजित राख के साथ अगले तीन वर्षों में किया जाएगा।

- (5) अप्रयुक्त संचित राख अर्थात् लीगेसी राख, जिसका इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भंडारण किया गया है, को ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) द्वारा इस रीति से क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जाएगा, कि लीगेसी राख को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस वर्षों के भीतर पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा और यह उस विशिष्ट वर्ष के चालू संचालनों के माध्यम से राख उत्सर्जन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अतिरिक्त होगा।

परन्तु, निम्नलिखित प्रतिशतताओं में यथा उल्लिखित लीगेसी राख की न्यूनतम मात्रा का उपयोग तास्थानी वर्ष के दौरान कर लिया जाएगा और लीगेसी राख की न्यूनतम मात्रा की ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता के अनुसार वार्षिक राख उत्सर्जन के आधार पर की जानी है।

प्रकाशन की तिथि से वर्ष	पहला	दूसरा	तीसरा-दसवां
लीगेसी राख का उपयोग (वार्षिक राख की प्रतिशतता)	कम से कम 20 प्रतिशत	कम से कम 35 प्रतिशत	कम से कम 50 प्रतिशत

परन्तु, यह और कि लीगेसी राख का उपयोग वहां अपेक्षित नहीं है, जहां राख के तालाब या डाइक स्थिर हो गए हैं और हरित पट्टी के निर्माण या पौध रोपण से पुनरुद्धार किया गया है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में प्रमाणित करेगा। किसी राख तालाब या डाइक के स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन शामिल है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। अन्य सभी राख के कुंड या डाइक में शेष बचे राख का उपयोग ऊपर उल्लिखित समय-सीमाओं के अनुसार क्रमिक रूप से किया जाएगा।

टिप्पण: राख के उपयोग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उप पैरा (4) और (5) के अधीन दायित्व 01 अप्रैल, 2022 की तारीख से लागू होंगे।

- (6) किसी भी नए तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में 0.1 हेक्टेयर प्रति मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षेत्रफल के साथ आपातकालीन या अस्थायी राख कुंड की अनुमति दी जा सकती है। राख के तालाब या डाइकों का तकनीकी विनिर्देश, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और ये दिशानिर्देश राख के कुंड या डाइक के संबंध में इसकी सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण, उपलब्ध प्रमाणा, निपटान का तरीका, निपटान में जल की खपत या संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और ग्रीन बेल्ट आदि के वार्षिक प्रमाणन के लिए कार्यविधि भी निर्धारित करेंगे और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (7) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि राख की लदाई, उतराई, ढुलाई, भंडारण और निपटान पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से किया गया है और वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी ऐहियत किए गए हैं और इस संबंध में स्थिति की सूचना इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को दी जाएगी।
- (8) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, संस्थापित क्षमता पर आधारित राख के कम से कम 16 घंटों के भंडारण के लिए समर्पित शुष्क फ्लाई राख साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि राख पहुंचाने के कार्य को सुगम बनाया जा सके। इसकी सूचना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को उपाबंध में दी जाएगी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

(9) प्रत्येक कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैप्टिव या सह उत्पादन केन्द्र भी है या दोनों), वास्तविक उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) के हित के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल या मोबाईल फोन एप्प का लिंक उपलब्ध कराकर ताप विद्युत संयंत्र के पास राख की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगा।

(10) राख के 100 प्रतिशत उपयोग का वैधानिक दायित्व, जहां भी लागू हो, विधि में बदलाव के रूप में माना जाएगा।

**ख. राख के उपयोग के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती उप पैराग्राफ लागू होंगे .-**

(1) ऐसे सभी अभिकरण (सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी), जो सड़क बिछाने, सड़क और फ्लाई ओवर के किनारों, तटीय जिलों में तटरेखा की सुरक्षा संरचनाओं और लिग्नाईट या कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 300 किमी के भीतर बांधों जैसे निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं, इन कार्यकलापों में अनिवार्य रूप से राख का उपयोग करेंगे :

परंतु इसको परियोजना स्थल पर निशुल्क पहुंचाया जाए और परिवहन लागत, ऐसे कोयला या लिग्नाईट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वहन की जाए।

परंतु यह और कि ताप विद्युत संयंत्र पारस्परिक सहमत हुई शर्तों के अनुसार राख की लागत और परिवहन के लिए शुल्क ले सकता है उस मामले में जहां ताप विद्युत संयंत्र अन्य माध्यम से राख का निपटान करने में समर्थ है और ये अभिकरण इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और बिना लागत और बिना परिवहन शुल्क के राख उपलब्ध कराने के प्रावधान तभी लागू होंगे यदि उसके लिए ताप विद्युत संयंत्र उस निर्माण अभिकरण को नोटिस जारी करता है।

(2) उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूडकी, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभागों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) तापीय विद्युत संयंत्र की 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित सभी खानों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत खुली आवर्त खानों में राख का पृष्ठ भंडारण करना या अधिक भार के ढेरों के साथ राख का मिश्रण करना बाध्यकारी होगा। सभी खान के स्वामी या प्रचालक (चाहे सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हो) कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर (सड़क द्वारा) के भीतर, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार ओवर बर्डन के बाह्य निक्षेप खान की बैकफिलिंग अथवा स्टोर्विंग (प्रचालित या छोड़ी गई खानों, जैसा भी मामला हो) के लिए उपयोग की गई सामग्रियों के भार-दर-भार के आधार पर कम से कम 25 प्रतिशत राख को मिश्रित करने के लिए उपाय करेंगे :

परंतु ऐसे तापीय विद्युत केन्द्र निःशुल्क राख प्रदान करके और परिवहन की लागत को वहन करके या पारस्परिक सहमत हुई शर्तों पर लिए गए निर्णय के अनुसार लागत या परिवहन व्यवस्था करके राख की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता को सुकर बनायेंगे और खानों के खाली स्थानों और ढेरों में अधिकभार के साथ राख को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा और उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खदान ब्यूरो द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण .-** इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लागत मुक्त राख और निःशुल्क परिवहन के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि ताप विद्युत संयंत्र इसके लिए खान मालिक को नोटिस देते हैं और अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रित करने और खान में खाली स्थान को भरने के लिए राख के 25 प्रतिशत हिस्से के उपयोग का अधिदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा खान मालिक को नोटिस न दिया गया हो।

- (5) (i) सभी खान मालिकों को खान में खाली स्थानों में राख को समायोजित करने के लिए खान बंद योजना (प्रगामी और अंतिम) तैयार करनी होगी और खान में खाली स्थानों में राख के निपटान और अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए खान योजनाओं को संबंधित प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा से छूट देने के साथ-साथ ऐसे निपटान के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में तारीख 28 अगस्त, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- (ii) मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के साथ परामर्श करके, खानों में खाली स्थानों में राख के निपटान करने तथा अधिभार वाले ढेरों में इसे मिश्रित करना सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आगे भी दिशानिर्देश जारी कर सकता है और यह खान मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसी खानों को अभिज्ञात करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अनुमतियों में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन प्राप्त करेंगे।
- (6) (i) पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में सुरक्षा, व्यवहार्यता (आर्थिक व्यवहार्यता नहीं) और पहलुओं की जांच सहित राख से खान में खाली स्थान को वापस भरने/अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए खानों की पहचान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खान ब्यूरो से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति पणधारी मंत्रालयों या विभागों के लिए अभिज्ञात खानों (भूमिगत और खुली, दोनों) के संबंध में तैयार की गई तिमाही रिपोर्टों को अद्यतन करेगी और यह समिति, इस अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत पश्चात उपयुक्त खानों की पहचान करना आरंभ करेगी।
- (ii) ताप विद्युत संयंत्र या खानें, उपरोक्त अनुसार अधिदेशित उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त समिति द्वारा पहचान किए जाने तक राख के निपटान हेतु प्रतीक्षा नहीं करेंगी।
- (7) राख से निचले क्षेत्र को भरने का कार्य, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों, अवस्थान, क्षेत्र और अनुमत मात्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा।
- (8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संगत पणधारी के साथ मिलकर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस अधिसूचना के अधीन परिकल्पित सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिए एक वर्ष के भीतर दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगा।
- (9) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से तीन सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों सरकारी उपक्रमों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा सभी निजी अभिकरणों) राख की ईटों, टाइल्स, धातुमल राख अथवा अन्य राख आधारित उत्पादों का उपयोग करेंगी बशर्ते कि वे वैकल्पिक उत्पादों की कीमत से अधिक कीमत पर उपलब्ध न हो।
- (10) राख आधारित उत्पादों के विनिर्माण और ऐसे उत्पादों में राख के उपयोग में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और दिशानिर्देशों की अनुपालना होगी।

ग. गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर .-

- (1) तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षों में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/ या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने कम-से-कम 80 प्रतिशत राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष के

अंत में अप्रयुक्त राख पर 1000 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि यह तीन वर्ष के चक्र के तीसरे वर्ष में 100 प्रतिशत राख का उपयोग करने में असमर्थ रहता है, तो वह अप्रयुक्त मात्रा पर 1000 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर के भुगतान का पात्र होगा, जिस पर पहले पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगायी गयी है।

परंतु पर्यावरणीय प्रतिकर को पैरा क के उप-पैरा (4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में अनुमान लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

- (2) अधिकारियों द्वारा एकत्रित पर्यावरणीय प्रतिकर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा।
- (3) लैग्रेसी राख के मामले में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने स्थापित क्षमता पर आधारित उत्पन्न राख का कम-से-कम 20 प्रतिशत (प्रथम वर्ष के लिए), 35 प्रतिशत (द्वितीय वर्ष के लिए), 50 प्रतिशत (तीसरे से दसवें वर्ष तक) उपयोग के बराबर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त लैग्रेसी राख पर 1000 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि 10 वर्ष के अंत में लैग्रेसी राख का उपयोग नहीं किया जाता है तो 1000 रूपए प्रति टन की दर से शेष अप्रयुक्त मात्रा पर पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा जिस पर पहले पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगाया गया है।
- (4) अधिकृत खरीददारों या उपभोक्ता अधिकरणों तक राख भेजने की जिम्मेदारी परिवाहकों या वाहन मालिक की जिम्मेदारी है और यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं अथवा गैर-अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ऐसी मात्रा गलत तरीके से वितरित करने पर 1500 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगायी, इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा गैर अनुपालनकर्ता परिवाहकों पर अभियोजन लागू होगा।
- (5) इस अधिसूचना के पैरा ख में विहित पर्यावरण अनुकूल तरीके में राख के उपयोग की जिम्मेदारी खरीददार या उपभोक्ता एजेंसियों की है और ऐसा नहीं करने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा 1500 रूपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा।
- (6) यदि उपयोगकर्ता अधिकरण पैरा ख के अधीन निर्धारित सीमा तक अथवा पैरा घ के उप-पैरा (1) के अधीन, दिए गए नोटिस के माध्यम से सूचित की गई सीमा, इनमें से जो भी कम हो, तक राख का उपयोग नहीं करती है, वे अतिरिक्त राख की मात्रा का 1500 रूपए प्रति टन की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।  
परंतु भवन निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय प्रतिकर निर्मित क्षेत्र के 75 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से वसूल किया जाएगा।
- (7) (i) ताप विद्युत संयंत्रों अन्य बकायादारों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगायी गई का पर्यावरणीय प्रतिकर उपयोग अप्रयुक्त राख के सुरक्षित निपटान हेतु किया जाएगा और राख आधारित उत्पादों सहित राख के उपयोग के संबंध में और अधिक अनुसंधान करने के लिए भी निधि का उपयोग किया जा सकता है।  
(ii) अप्रयुक्त मात्रा पर लगाने गए पर्यावरणीय प्रतिकर के पश्चात भी राख के उपयोग का उत्तरदायित्व ताप विद्युत संयंत्रों की होगी और यदि पश्चातवती चक्रों में पर्यावरणीय प्रतिकर लगाने के पश्चात ताप विद्युत संयंत्र, किसी विशेष चक्र की राख के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अगले चक्र के दौरान अप्रयुक्त मात्रा पर एकत्र की गई पर्यावरणीय प्रतिकर में 10 प्रतिशत कटौती के पश्चात उक्त रकम ताप विद्युत संयंत्र को वापस कर दी जाएगी और पश्चातवती चक्रों में राख के उपयोग के मामले में एकत्र की गई पर्यावरणीय प्रतिकर की 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और उसी क्रम में कटौती की जानी है।

घ. राख या राख आधारित उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया .—

- (1) ताप विद्युत संयंत्रों के स्वामी अथवा राख की ईंटों या टाईल्स या धातुमल आधारित राख के विनिर्माता उन व्यक्तियों या अभिकरणों को लिखित सूचना देंगे जो बिक्री या परिवहन या दोनों के लिए प्रस्तुत राख या राख आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं।
- (2) ऐसे व्यक्ति या उपयोगकर्ता अभिकरणों जिन्हें ताप विद्युत संयंत्रों के स्वामी द्वारा या राख की ईंटों या टाईल्स या धातुमल आधारित राख के उत्पादकों द्वारा सूचना दी गई है, यदि वे पहले ही राख या राख उत्पादों के उपयोग के प्रयोजन से अन्य अभिकरणों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि वे किसी भी राख/राख उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं अथवा कम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, तदनुसार ताप विद्युत संयंत्र को सूचित करेंगे।

ङ. प्रवर्तन, निगरानी, लेखा परीक्षा और प्रतिवेदन करना

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), उपबंधों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे। सीपीसीबी या एसपीसीबी या पीसीसी तिमाही आधार पर राख के उपयोग की निगरानी करेंगे और सीपीसीबी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से छः माह के भीतर एक पोर्टल विकसित करेगा। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समवर्ती अधिकारिता होगी।
- (2) (i) ताप विद्युत संयंत्र, राख उत्सर्जन और उपयोग से संबंधित मासिक सूचना वेब पोर्टल पर अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करेगा। कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए) अप्रैल माह के 30वें दिन तक प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और सीईए द्वारा सभी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों का समेकन किया जाएगा और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) सभी अन्य उपयोगकर्ता अधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा जारी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ), जो भी लागू हो, की अनुपालना रिपोर्ट में इस अधिसूचना में आज्ञापकता के अनुसार राख के उपभोग या उपयोग या निस्तारण तथा राख आधारित उत्पादों के उपयोग संबंधी सूचना प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकरणों की राख उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।
- (3) इस अधिसूचना के उपबंधों की निगरानी और कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्यम विभाग से होने के साथ-साथ समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले कोई संबंधित पणधारी होंगे। यह समिति संगत पणधारी को आमंत्रित कर सकती है। यह समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कर सकती है। यह समिति छः माह में कम से कम एक बार एक बैठक करेगी और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और यह समिति, इस अधिसूचना द्वारा आज्ञापक किए गए अनुसार छः महीनों में कम से कम एक बार संगत पणधारी (को) को आमंत्रित करके राख के उपयोग की निगरानी करने के लिए पणधारी से साथ परामर्शदात्री बैठकें आयोजित करेगी। यह समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को छः मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

- (4) ताप विद्युत संयंत्रों और राख के उपयोगकर्ताओं या राख आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच के विवाद का समाधान करने के प्रयोजन से राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगी जिसमें विद्युत विभाग के प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि उस विभाग का होगा, जो विवाद वाले संबंधित अभिकरण का कार्य देख रहे हैं।
- (5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा किए गए राख के निपटान की अनुपालन लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

[फा. सं. एचएसएम-9/1/2019-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

उपाबंध

31 मई तक अथवा उससे पहले प्रस्तुत की जाने वाली राख संबंधी उपबंधों की अनुपालन रिपोर्ट (01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए)।

क्र.सं.	ब्यौरा	
1.	विद्युत संयंत्र का नाम	
2.	कंपनी का नाम	
3.	जिला	
4.	राज्य	
5.	पत्राचार के लिए डाक का पता :	
6.	ई-मेल :	
7.	विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता (मेगा वॉट) :	
8.	संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) :	
9.	उत्पादित यूनितों की संख्या (एमडब्ल्यूएच) :	
10.	विद्युत संयंत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर) (राख कुंडों के अधीन क्षेत्र सहित) :	
11.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान कोयला खपत की मात्रा (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) :	
12.	औसत राख सामग्री प्रतिशतता में (%) :	
13.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख की मात्रा (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) : फ्लाई राख (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) : बॉटम राख (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) :	
14.	ड्राई फ्लाई राख भंडारण गड्ढा (गड्ढों) की क्षमता (मीट्रिक टन) :	
15.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख के उपयोग का ब्यौरा: (क) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उपयोग की गई राख की	

	<p>कुल मात्रा (एमटीपीए) :</p> <p>(ख) उपयोग की गई फ्लाई राख की मात्रा (एमटीपीए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड/पैनल) :</li> <li>सीमेंट विनिर्माण :</li> <li>रेडी मिक्स कंक्रीट :</li> <li>राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री :</li> <li>सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण :</li> <li>सड़कों, सड़क और फ्लाई ओवर के पुशतों का निर्माण :</li> <li>बांधों का निर्माण :</li> <li>निम्न भू-क्षेत्र का भराव :</li> <li>खनिज क्षेत्रों का भराव :</li> <li>अधिभार वाले डम्पों में उपयोग :</li> <li>कृषि :</li> <li>तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण :</li> <li>अन्य देशों को राख का निर्यात :</li> <li>अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :</li> </ol> <p>(ग) उपयोग किए गए तल के राख की मात्रा (एमटीपीए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड या पैनल) :</li> <li>सीमेंट विनिर्माण :</li> <li>रेडी मिक्स कंक्रीट :</li> <li>राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री :</li> <li>सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण :</li> <li>सड़कों, सड़क और फ्लाईओवर के पुशतों का निर्माण :</li> <li>बांधों का निर्माण :</li> <li>निम्न भू-क्षेत्र का भराव :</li> <li>खनिज क्षेत्रों का भराव :</li> <li>अधिभार वाले डम्पों में उपयोग :</li> <li>कृषि :</li> <li>तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण :</li> <li>अन्य देशों को राख का निर्यात :</li> <li>अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :</li> </ol>	
	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में अप्रयुक्त राख की कुल मात्रा (एमटीपीए) :	
16.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख का प्रतिशतता उपयोग (%) :	
17.	<p>राख कुण्डों में राख के निपटान का ब्यौरा</p> <p>क) तारीख 31 मार्च तक (रिपोर्टिंग की अवधि को छोड़कर) राख कुण्ड (कुण्डों) में निपटान किए गए राख की कुल मात्रा (मीट्रिक टन) :</p>	

	<p>ख) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख कुण्ड (कुण्डों) में निपटान किए गए राख की मात्रा (मीट्रिक टन):</p> <p>ग) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख कुण्डों में गारा निस्सरण हेतु खपत हुए जल की कुल मात्रा (मी<sup>3</sup>):</p> <p>घ) राख कुण्डों की कुल संख्या:</p> <p>(i) सक्रिय:</p> <p>(ii) खाली किए गए (पुनः भरा जाना है)</p> <p>(iii) पुनः भरे गए:</p> <p>ड.) राख कुण्डों के अधीन कुल क्षेत्र (हेक्टेयर):</p>	
18.	<p><b>अलग-अलग राख कुण्ड का ब्यौरा</b></p> <p>राख कुण्ड 1,2 आदि (यदि राख कुण्डों की संख्या एक से अधिक हो, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा अलग से उपलब्ध कराएं)</p> <p>क) स्थिति: निर्माणाधीन या सक्रिय या खाली किया गया या पुनः भरा गया</p> <p>ख) राख कुण्ड में राख का निपटान शुरू करने की तारीख/महीना/वर्ष या महीना/वर्ष):</p> <p>ग) राख कुण्ड की क्षमता पूर्ण किए जाने के पश्चात् उसमें राख निपटान रोकने की तारीख (तारीख/महीना/वर्ष या महीना/वर्ष): (सक्रिय राख कुण्डों के लिए लागू नहीं)</p> <p>ग) क्षेत्र (हेक्टेयर):</p> <p>घ) डाइक की ऊंचाई (मी.):</p> <p>घ) आयतन (मी<sup>3</sup>):</p> <p>ड.) तारीख 31 मार्च तक निपटान किए गए राख की मात्रा (मीट्रिक टन):</p> <p>च) उपलब्ध आयतन का प्रतिशत (%) और आगे निपटान किए जा सकने वाले राख की मात्रा (मीट्रिक टन):</p> <p>छ) राख कुण्ड के भरे जाने की अनुमानित अवधि (वर्षों और महीनों की संख्या):</p> <p>ड.) निर्देशांक (अक्षांश और देशान्तर): (कृपया न्यूनतम 4 निर्देशांकों को विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>ज) राख कुण्ड में की गई लाइनिंग का प्रकार: एचडीपीई लाइनिंग या एलडीपीई लाइनिंग या क्ले लाइनिंग या कोई लाइनिंग नहीं</p> <p>छ) निपटान की विधि: शुष्क निपटान या नम गारा (नम गारा के मामले में कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या एचसीएसडी या एमसीएसडी या एलसीएसडी है)</p> <p>ज) राख का अनुपात: गारा मिश्रण में जल (1:___):</p> <p>झ) संस्थापित और कार्यशील राख जल पुनर्चक्रण प्रणाली (एडब्ल्यूआरएस): हां या नहीं</p> <p>ञ) जमीन के अंदर या जल निकाय में राख कुण्ड से निस्सरित अपशिष्ट जल की मात्रा (मी<sup>3</sup>):</p> <p>ट) डाइक की स्थिरता का अध्ययन कराए जाने की पिछली तारीख और उस संगठन का नाम जिसने अध्ययन किया:</p> <p>ठ) लेखा-परीक्षा किए जाने की पिछली तारीख और उस संगठन का नाम जिसने लेखा-परीक्षा की:</p>	
19.	<p>उपयोग किए गए पुराने राख की मात्रा (एमटीपीए):</p> <p>i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर</p>	

	सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड या पैनल): ii. सीमेंट विनिर्माण: iii. रेडी मिक्स कंक्रीट: iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री: v. सिंटेड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण: vi. सड़कों, सड़क और फ्लाई ओवर के पुश्तों का निर्माण: vii. बांधों का निर्माण: viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव: ix. खनिज क्षेत्रों का भराव: x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग: xi. कृषि: xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण: xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):			
20.	सार :			
	ब्यौरा	सृजित मात्रा (एमटीपी)	उपयोग की गई मात्रा (एमटीपी) और (%)	
	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख			
	पुरानी राख			
	कुल			
21.	कोई अन्य सूचना : वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, और विद्युत संयंत्रों और राख कुण्डों की शेष फाइलों की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल:- <a href="mailto:moefcc-coalash@gov.in">moefcc- coalash@gov.in</a> पर भेजी जाए।			
22.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर			

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2021

**S.O. 5481(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* S.O.763 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 1999, as amended from time to time, the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometres from the coal or lignite based thermal power plants;

And whereas, to implement the aforesaid notification more effectively based on the polluter pays principle (PPP) thereby ensuring 100 per cent utilisation of fly ash by the coal or lignite based thermal power plants and for the sustainability of the fly ash management system, the Central Government reviewed the existing notification; and whereas environmental compensation needs to be introduced based on the polluter pays principle;

To,  
The Regional Officer,  
U.P. Pollution Control Board,  
Ghaziabad.

Letter no. 2)/G.W.D./ACT/2024-25

Dated: 24/8/24

**SUBJECT- Regarding physical verification of compliance report filed by Modi Sugar Mills in reference to the order dated 17.05.2024 passed by The Hon'ble N.G.T. (OA No. 418 of 2021 with OA No. 447 of 2021).**

Respected Sir,



This is to bring to your notice the report of physical verification done jointly by me and Santosh Verma, Assistant Engineer, UPPCB, Ghaziabad on 22.08.2024 in accordance to the order by The Hon'ble N.G.T. on its previous date of hearing i.e. 09.08.2024 stating that-



1. The project proponent (MODI SUGAR MILLS), in furtherance has submitted additional reply showing compliance which needs to be verified.
2. Let U.P. Pollution Control Board verify the same and submit the report within two weeks.

Therefore, in accordance with the above context, following are the points concerning District Ground Water Management Council on which the project proponent has filed an additional reply Hon'ble Tribunal vide its order dated 17.05.2024 directed the project proponent to file the better reply-

a) **Running of Tube wells without permission.**

In this context, physical verification of all the borewells present in the premises of the project proponent was done on 22.08.2024, where it was found that- Only 02 borewells mentioned as Borewell-1 & Borewell-2 by the project proponent in their compliance report, were found functional and running in the premises of Modi Sugar Mills, for which the project proponent has already acquired renewed NOC(s) from the U.P. Ground Water Department with NOC No. REG013999 & REG034026 respectively, both of which are valid till 03/01/2025. Apart from these above mentioned 02 Borewells, 02 other Borewells were found non functional and sealed. Therefore, no tubewells running without permission were found. (Photographs attached for reference).









b) **Rain water harvesting system whether made by the said industry or not and if yes, whether the same is in functional condition-**

In this context, physical verification was done on 22.08.2024 and 02 rain water harvesting chambers were found constructed near the bottling unit and the excise department respectively which were functional and directions for regular cleaning of chambers pre-monsoon and post-monsoon were given to the project proponent.


Representative of the project proponent, Mr. Tyagi present during the on-site verification mentioned that apart from the above 02 rain water harvesting chambers, the project proponent has given contract to two contractors for further expansion of rain water harvesting system in the premises which are likely to be completed by 09.09.2024, for which the work is already under process and gutter system for rain water collection has been constructed along the roofs of some of the buildings (Photographs attached for reference).





**c) The action taken by the Industry for Maintenance of village ponds which it has adopted-**


In this context, the Project Proponent, in their Compliance report has mentioned that they have adopted and developed ponds in compliance of their acquired NOC(s), in villages Amipur Badayla, Jalalpur Dhindhar, Machhri, Khindora & Sherpur in approx. 10-hectare area, the physical verification of which were done on 22.08.2024. On inspection, it was found that all the five ponds are being maintained by Modi Sugar Mills which included works like- Weeding and cleaning of pond banks and bottom, making of bank/periphery, fencing around the pond by RCC poles and wires, Painting of display board and pillars & Plantation around the ponds, which were under progress. The project proponent was also directed to reclean the pond banks as required at frequent intervals (Photographs attached for reference).



**POND 1- VILLAGE MACCHIRI**



**POND 2- VILLAGE KHINDORA**



**POND 3- VILLAGE JALALPUR DHINDHAR**



**POND 4- VILLAGE AMIPUR BADAYLA**



**POND 5- VILLAGE SHERPUR**

Therefore, it can be concluded that all the above ponds are being developed and maintained by Modi Sugar Mills by their contractor the "GREEN ADMIRE CONSULTANCY & ENGINEERING."

Nodal Officer,  
District Ground Water Management Council,  
Ghaziabad.

Letter no. /G.W.D./ACT/2024-25/The date thereof/  
**Copy to & forwarded for necessary action & information-**

1. The Respected District Magistrate/Chairperson, District GW Management Council. ,
2. The Respected CDO/Member Secretary, District GW Management Council.

Nodal Officer,  
District Ground Water Management Council,  
Ghaziabad.



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP32550217319020W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

RAVINDER KUMAR

LNO-30

Acc-UP14084904/MODINAGAR/UP.GZB

Certificate No.	: IN-UP32550217319020W
Certificate Issued Date	: 11-Jan-2024 12:02 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) UP14084904/ MODINAGAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1408490461090333545590W
Purchased by	: MODI INDUSTRIES LIMITED UNIT MODI SUGAR MILL
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MODI INDUSTRIES LIMITED UNIT MODI SUGAR MILL
Second Party	: MOHIT SHARMA AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	: MODI INDUSTRIES LIMITED UNIT MODI SUGAR MILL
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)



### समझौतानामा

मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड युनिट मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर प्रथम पक्ष एवं श्री देवराज शर्मा पुत्र श्री शिव ओम शर्मा आधारकार्ड नं०-000000007168, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव ओम आधारकार्ड नं०-991385664928, श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री शिव ओम शर्मा आधारकार्ड नं०-725564355602, श्री कौशल शर्मा पुत्र श्री गंगास्वरूप शर्मा आधारकार्ड नं०-939649194653 एवं श्रीमति जसवन्ती पत्नी श्री शिवओम शर्मा आधारकार्ड नं०-239480339705 द्वितीय पक्ष एवं अन्य निवासी ग्राम सीकरी कलों, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद (उ०प्र०) के मध्य उनके खेत खाता संख्या-00189 खसरा संख्या-615 क्षेत्रफल 1.4050 हेक्टेयर में से एक एकड़ (पाँच बीघा) को एक वर्ष के लिए लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में एक समझौता आज दिनांक 11-01-2024 को आपसी सहमति से बिना किसी दबाव, बल व डर के निम्नलिखित शर्तों के साथ सम्पन्न हुआ। समझौते की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

क्रमशः 2

श्री देवराज शर्मा



श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा



मोहित शर्मा

-2-

समझौते की शर्तें:-

- 1- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य के उपरोक्त खेत खसरा संख्या-615 क्षेत्रफल 1.4050 में से एक एकड़ (पाँच बीघा) जमीन मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर द्वारा, फैक्ट्री के बॉयलर से निकलने वाली गीली राखी के निस्तारण के लिए दिनांक 01-11-2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लीज पर ली जायेगी।
- 2- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि उपरोक्त जमीन को एक वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिए जाने के बदले में प्रथम पक्ष मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स द्वारा अंकन ₹0 40,000/- (चात्तीस हजार) प्रति वर्ष अर्थात् ₹0 8,000/- प्रति बीघा की दर से द्वितीय पक्ष को कुल पाँच बीघा जमीन के भराव के लिए द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य को भुगतान किया जायेगा।
- 3- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस समझौते के माध्यम से जहाँ प्रथम पक्ष की गीली राखी का निस्तारण हो जायेगा वहीं द्वितीय पक्ष को भी प्रतिफल के रूप में अंकन ₹0 40,000/- का आर्थिक लाभ होगा व द्वितीय पक्ष की जमीन का भराव भी हो जायेगा।
- 4- यह कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि उपरोक्त वर्णित एक वर्ष की अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा लीज पर ली गयी उपरोक्त जमीन पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जायेगा एवं उपरोक्त जमीन को प्रथम पक्ष मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए गीली राखी के निस्तारण के कारण एक वर्ष की अवधि से पूर्व अपने उपयोग से मुक्त नहीं किया जायेगा।
- 5- यह कि द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य सहमत हैं कि उक्त जमीन पर मोदी शुगर मिल्स के बॉयलर की गीली राखी के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य की होगी। द्वितीय पक्ष उपरोक्त गीली राखी का उपयोग अपने हित में करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यह गीली राखी द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति मानी जायेगी एवं इसके निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य की होगी।

क्रमश...3...


  
  
  
  
  


-3-

- 6- यह कि द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य सहमत है कि उपरोक्त जमीन पर गीली राखी के निस्तारण किये जाने के कारण किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य की होगी एवं प्रथम पक्ष का कोई भी विधिक या अन्य किसी भी रूप में उत्तरदायित्व नहीं होगा। समस्त वित्तीय व विधिक जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष श्री मोहित शर्मा एवं अन्य द्वारा वहन की जायेगी। इस सम्बन्ध में मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट मोदी शुगर मिल्स की किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय अथवा विधिक जिम्मेदारी नहीं होगी।

दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर यह लीज एग्रीमेन्ट लिखा जा रहा है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आये। इस समझौते पर आज दिनांक 11-01-2024 को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

प्रथम पक्ष  
वास्ते मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
यूनिट मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर।

  
आर० सिंह  
वाईस प्रेसीडेन्ट (टैक्नी०)

गवाह

1- 

द्वितीय पक्ष  
खेत मालिक

  
मोहित

मोहित शर्मा पुत्र श्री शिव ओम शर्मा एवं अन्य  
ग्राम सीकरी कलॉ, मोदीनगर  
जनपद-गाजियाबाद (उ०प्र०)।

गवाह

1- 

(C) MODI SUGAR & OTHER AREA

S.NO	WIDTH X LENGTH (SQ.METER)	AREA (SQ.METER)	REMARK
A	34.2 X 1.0	34.2	
	24.85 X 1.0	24.85	
	TOTAL	59.05	COMPLETED
B	27 X 2.4	64.8	
	6 X 1.5	9.0	
	TOTAL	73.8	COMPLETED
C	50.3 X 4.0	201.2	COMPLETED
	37 X 5	185.0	COMPLETED
	179 X 3 ( MODI SOAP )	537.0	PROPOSED
	105 X 6 ( MODI SOAP )	630.0	PROPOSED
	TOTAL	1553.2	
D	38.5 X 2.5	96.25	
	19 X 2	38.0	
	TOTAL	134.25	COMPLETED
E	16.5 X 2	33.0	COMPLETED
		48.0	COMPLETED
F	24 X 2		
G	19 X 5.8	522.0	COMPLETED
		960	COMPLETED
H	160 X 6		
I	46 X 20	920	COMPLETED
		231	
J	231 X 1 BIOCOMPOST	176	
	88 X 2 BIOCOMPOST	500	
	125 X 4 BIOCOMPOST	907	COMPLETED
	TOTAL	1380	COMPLETED
K	230 X 6	390.5	COMPLETED
L	71 X 5.5	811.2	
	169 X 4.8	1201.7	COMPLETED
	TOTAL	120.5	
	14 X 1.5	36.0	
		36.0	
	GRAND TOTAL	7948.5 / 1.964 Acre	

### B) DISTILLERY CAMPUS AREA

S.NO	WIDTH X LENGTH (SQ.METER)	AREA (SQ.METER)	REMARK
A	2.5 X 36.2	90.5	COMPLETED
B	1.8 X 9.8 ( TRUCK PARKING )	17.6	COMPLETED
	1.8 X 5.7 ( TRUCK PARKING )	10.2	COMPLETED
	1.8 X 18.0 ( TRUCK PARKING )	32.4	COMPLETED
	1.8 X 9.0 ( TRUCK PARKING )	162.0	COMPLETED
	1.8 X 27.9 ( TRUCK PARKING )	50.2	COMPLETED
C	4.3 X 0.6	2.5	COMPLETED
	1.5 X 27.6	41.4	COMPLETED
	2.2 X 13.0	28.6	COMPLETED
	2.2 X 12.5	27.5	COMPLETED
D	2.2 X 3.9	8.58	COMPLETED
	2.2 X 6.7	14.7	COMPLETED
	6.1 X 1.7	10.3	COMPLETED
E	8.7 X 14.7	127.8	COMPLETED
	5.3 X 2.0	10.6	COMPLETED
F	1.5 X 23.1	34.6	COMPLETED
	3.5 X 52.4	183.4	COMPLETED
	10.3 X 6.8	70.0	COMPLETED
G	1.0 X 16.6	16.6	COMPLETED
H	5.0 X 35.9	179.5	COMPLETED
	10.9 X 15.3	166.7	COMPLETED
	9.1 X 7.4	67.3	COMPLETED
	1.7 X 18.8	31.96	COMPLETED
I	1.6 X 20.5	32.8	COMPLETED
	0.7 X 72.4	50.6	COMPLETED
J	2.8 X 11.7	32.7	COMPLETED
	2.8 X 11.9	33.32	COMPLETED
	2.1 X 7.4	15.54	COMPLETED
	1.5 X 18.6	27.9	COMPLETED
K	2.0 X 9.5	19	COMPLETED
	5.0 X 30.0	90	COMPLETED
L	20.3 X 1.0	20.3	COMPLETED
	1.0 X 59.0	59.0	COMPLETED
L	1.2 X 76.2	91.44	COMPLETED
GRAND TOTAL		1857.54 / 0.459 Acre	

Ⓐ E.T.P. PLANT AREA

S.NO	WIDTH X LENGTH (SQ.METER)	AREA (SQ.METER)	REMARK
A	57.30 X 0.914 ( MAIN GATE )	52.37	COMPLETED
	9.44 X 0.6096 ( MAIN GATE )	5.754	COMPLETED
	4.87 X 1.219 ( MAIN GATE )	5.936	COMPLETED
B	24.68 X 0.914 ( LAB FRONT )	22.557	COMPLETED
C	16.76 X 0.6096 ( DIGESTER )	10.216	COMPLETED
D	10.05 X 1.52 ( LAB BACK SIDE )	15.27	COMPLETED
	6.096 X 1.52 ( LAB BACK SIDE )	9.265	COMPLETED
E	28.041 X 0.914 ( AERIATION BACK SIDE )	25.62	COMPLETED
F	48.46 X 1.219 ( LAGOON NEAR	59.072	COMPLETED
G	17.37 X 0.914 ( LAGOON NEAR BY )	15.87	COMPLETED
H	6.70 X 0.457 ( LAB SIDE )	3.0619	COMPLETED
	TOTAL	224.99 / 0.05559 Acre	

**D** OTHER AREA

(i)	( NH 58 )	3 X 1100 MTR	0.815 ACRE
	TOTAL	3300 SQ.MTR	
(ii)	( MADANPURA & KRISHANPURA )	2 X 300 MTR	0.148 ACRE
	TOTAL	600 SQ.MTR	
GRAND TOTAL		3900 SQ.MTR	0.963 ACRE

A	(TOTAL GREEN AREA DEVELOPED AND PROPOSED)	3.441 ACRE
B	( GREEN AREA DEVELOPED )	3.153 ACRE
C	( GREEN AREA PROPOSED )	0.288 ACRE